क्षेत्रीय कार्यालय को संकुल प्रभारी प्राचार्यों से आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त क्षेत्रीय स्तर की स्थानीय स्थानांतरण समिति द्वारा विचार उपरांत अनुमोदित किए गए विद्यार्थियों की सूची संबंधित विद्यालयों को प्रेषित की जाएगी।

स्थानीय स्थानांतरण हेतु समय-सारिणी

क्र. सं.	विवरण	दिनांक
1	अभिभावक द्वारा विद्यालय में फार्म सम्मिलित करने की तिथि	05.06.2023 से 24.06.2023
2	वर्तमान विद्यालय द्वारा जिस विद्यालय में स्थानांतरण चाहिए उस विद्यालय में फार्म सम्मिलित करने की अंतिम तिथि	27.06.2023
3	विद्यालय (जिस विद्यालय में स्थानांतरण चाहिए) द्वारा पूर्ण दस्तावेज़ों की जांच एवं टिप्पणी के उपरांत संकुल प्रभारी प्राचार्य को फार्म सम्मिलित करने की अंतिम तिथि	30.06.2023
4	संकुल प्रभारी प्राचार्य द्वारा समस्त आवेदनों की जांच कर अपनी टिप्पणी के साथ फार्मों को क्षेत्रीय कार्यालय में सम्मिलित करने की अंतिम तिथि	07.07.2023
5	क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सूची विद्यालयों को प्रेषित करने की तिथि	17.07.2023

6. **24 जून 2023** के बाद स्थानीय स्थानांतरण हेतु विद्यालय द्वारा आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगें। यदि किसी अभिभावक का स्थानांतरण अथवा सरकारी आवास का आवंटन 24 जून 2023 के उपरान्त होता है तो विद्यालय द्वारा फार्म स्वीकार किये जा सकते हैं एवं स्थानीय स्थानांतरण की उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।
7. कक्षा अध्यापकों के माध्यम से अभिभावकों को अवगत करायें ताकि इच्छुक एवं योग्य अभिभावकों द्वारा समय पर आवेदन किया जा सके। यह सूचना विद्यालय पट्ट एवं वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करें।
8. किसी भी मामले में अभिभावक को अन्य दूसरे केवि या क्षेत्रीय कार्यालय में जाने अथवा संपर्क करने हेतु सलाह प्रदान न करें।
9. स्थानीय स्थानांतरण हेतु दी गयी समय-सारिणी का कडाई से पालन किया जाए।
10. जिला प्रशासन/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर कोविड-19 हेतु SOP जारी किये गये हैं अत: स्थानीय स्थानांतरण के दौरान कोविड प्रोटोकोल एवं SOP का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए।